न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

.सं.– 100/2011
ी.सी.एम.एस. : 2011/00165

1. जोगेन्द्र सिहं पुत्र श्री मूला सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज0)। मृतक
   1/1.महेन्द्रकोर पत्नी जोगेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी 10 पी. एस.तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज0)।
   1/2.तरलोचन सिहं पुत्र श्री जोगेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज0)।
   1/3. सतपाल सिहं पुत्र श्री जोगेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर(राज0)।
   1/4. सिमरजीतकौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी10पी.एस. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज0)।
   1/5.जसप्रीतकोर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी10पी.एस. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज0)।

–:वादीगण

बनाम

1. उजागर सिह पुत्र श्री नारायण सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर(राज0)।
2. सन्तोख सिह पुत्र श्री जोरा सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर(राज0)।
3. साधू सिह पुत्र श्री मूला सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर(राज0)।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिहनगर

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट.</u>

उपस्थितिः–

1. श्री अवतार सिहं बराड़ वकील वादीगण
2. श्री प्रीतमसिहं गिल वकील प्रतिवादी स.–3

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक : 06.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एल.आर.एक्ट. के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने वाके चक 10 पी एस. के मु.नं. 8 के कि.नं.1में 18बीस्वा, 2 सालम, 9 सालम,10में 18 बीस्वा, 11में 18बीस्वा व 12 सालम कुल 5 बीधा 14 बीस्वा नहरी भूमि रेमल दास पुत्र मोटन दास जाति अरोड़ा निवासी 10 पी.एस तहसील रायसिहंनगर से जरिये बैयनाम 10.04.1970 को खरीद की गयी है। जिसका कब्जा काश्त खरीद की रोज से लगातार चला आ रहा है। उक्त भूमि का इन्तकाल दिनांक 27.11.72 पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 25.1.73 को उक्त इन्तकाल के अंकन को सही पाये जाने का इन्द्राज किया । वादी एक भोला भाला व सीधा सादा किसान है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त बैयनामा का इन्तकाल राज[illegible] मे वादी के नाम से दर्ज किये जाने पर वादी सद्भाविक रहा है तथा उक्त रकबा पर [illegible]तार काश्त करता रहा हूँ ,वादी उक्त रकबा का मालिक है।उक्त [illegible] हक व हिस्सा घोषित करवा पाने का विधिक तौर से अधिकारी हूँ। वादी को [illegible] रकबा पर बैंक से ऋण [illegible] करने के लिए पटवारी हल्का से जमाबन्दी , नक्शा व [illegible] प्रमाण पत्र एवं गिरद[illegible] आवश्यकता पड़ने पर पटवारी हल्का से सम्र्पक किया तो बताया कि राजस्व रिकार्ड में चक 10 पी एस के मु.न. 8 के 2.405 है0 नहरी व मु.न. 18 के 0.431है0 नहरी कुल 2.836 है0 नहरी भूमि प्रतिवादी सं. 1ता3 के नाम से दर्ज होना बताया, इसमें प्रतिवादी सं. 1 के नाम 253

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 12:45:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...सा, प्रतिवादी सं. 2 के नाम 34 हिस्सा ,प्रतिवादी सं. 3 के नाम 114 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी प्राप्त की। प्रतिवादी सं. 1 के नाम कोई व्यक्ति चक 10 पी एस में नहीं है, ना ही कभी रहा है, ना ही अब रह रहा है। वादी का हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम सहवन से लिपिकीय भूल से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है ,इसे दुरूस्त करवा कर वादी अपने नाम से अंकन करवा कर दुरूस्ती करवा पाने का विधिक तौर से अधिकारी हूॅ। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार से आदेश हासिल करने की बात कही जिस पर वादी तहसीलदार साहब से मिला तो प्रथमतः टालमटोल के पश्चात् दिनांक 29.06.2011 को अदालत हाजा में वाद पेश कर अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने व दुरूस्ती आदेश लाने का कहॉ इसलिए वादी को यही तारीख बिनाऐ दावा एवं मुखास्मत दावा हासिल है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे कि वाके चक 10 पी.एस. के मु.न.8 के कि.न. 1में 18 बीस्वा, 2–9सालम–सालम, 10–11प्रत्येक18बीस्वा, 18बीस्वा, 12 सालम कुल 5 बीधा 14बीस्वा नहरी भूमि पर वादी का हक एवं हिस्सा बतौर खरीददार घोषित फरमाया जाकर उक्त रकबा का अमल दरामद वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश फरमाये जावे। तथा राजस्व रिकार्ड चक 10 पी.एस के खाता नं. 9 मु. न. 8 प.न. 191/274 व मु.न. 18 प.न.190/276 कुल 2.836है0 नहरी भूमि में उक्त खरीदशुदा भूमि अनुतोष की मद सं अ अनुसार उजागर सिहं –खातेदार का नाम विलोपित किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज के आदेश फरमावे जाने हेतु निवेदन किया।

अतः वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 स्वयं हाजिर आया। प्रतिवादी स. 2 को तामील स्वयं पर होने के बावजूद हाजिर नहीं आने के कारण उसकें विरूद्व दिनांक 14.09.2011 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 12.10.11 को प्रतिवादी सं. 3 हाजिर नहीं आने के कारण उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की तलबी जरिये अखबार दैनिक सीमा सन्देश में करवाई गई। दिनांक 23.07.2012 को प्रतिवादी सं. 1 हाजिर नहीं आने पर उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 4 राजपेराकार जरिये नायब तहसीलदार ने जबाव स्टेट दिनांक 18.06.2013 को दावा के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते दावा खारिज करने हेतु निवेदन किया है । प्रकरण में दिनांक 4.03.2015 को तनकीयात कायम की गईः–

1.आया चक 10 पी.एस. तहसील रायसिहंनगर के मु.न. 8 प.न. 191/274 व मु.न. 18 प.न. 190/276के कुल 2.836है0 नहरी भूमि में से वादी द्वारा अपने नाम से जरिये बैयनामा मु.न. 8 के कि.न. 1/0.18,2–9–12सालम, कि.न. 10–11 प्रत्येक के 0.18–0.18 बीस्वा नहरी भूमि खरीद की हुई है। जिसका अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है।

–वादी

2.आया लिपिकीय भुल से चक 10 पी एस के मु.न. 8 प.न. 191/274 व मु.न. 18 प.न. 190/276 के कुल 2.836 है0 नहरी भूमि में अन्य काश्तकारों के नाम आ गए है जो मौजूद नहीं उनको दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है।

–वादी

वादी ने अपने तहरीर साक्ष्य में वादी जोगेन्द्र सिहं पुत्र मूल सिहं का शपथ–पथ प्रस्तुत किया । इसी दौरान प्रार्थी तरलोनसिहं वगैरा जरिये अधिवक्त श्री अवतार सिहं बराड़ ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी जोगेन्द्र सिहं की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे। वकील प्रतिवादी ने इस प्रार्थना पत्र पर एतराज न होने पर प्रार्थीगण तरलोचन सिहं का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। मृतक जोगेन्द्र सिहं के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। वकील वादी ने संशोधन शीर्षक दिनांक 31.01.2017 को प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी साधूसिहं ने प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 7 व धारा 151सीपीसी का दिनांक 31.01.2017 को प्रस्तुत किया कि उसके विरूद्व दिनांक 12.10.2011 हुई एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जावे। वकील अप्रार्थी (वादी) के द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] एतराज न करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसके विरूद्व [illegible] एकतरफा दिनांक 12.10.2011 को अपास्त कर सुनवाई का अवसर दिया [illegible] प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 सी पी सी स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्व दिनांक 12.10.2011 को अमल में लाई गयी एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर जबाव दावा प्रतिवादी सं. 3 रिकार्ड पर लिया गया। प्रतिवादी सं. 3 साधु सिहं ने जबाव दावा जरिये मुख्त्यारनामा आम हरनेकसिहं के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के वाद पत्र की मद सं. 5 से कोई विरोध नहीं है। मु.न. 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 12:45:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
...सिंहनगर

Scanned with CamScanner

... 2.836 है0 नहरी भूमि के मुश्तरका खाता नं. 6 में उजागर सिहं पुत्र नारायण सिहं हि0 ...3 व सन्तोक सिहं पुत्र जोरासिहं हि0 34 व साधू सिहं पुत्र मूला सिहं हि0 76 , व जगीद्रसिहं पुत्र मूला सिहं हि0 114 रकबा दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी प्रर्दश–2 व 3 है। उसके बाद बनी जमाबन्दी प्रर्दश–4व 5 में वादी का हिस्सा साूध सिहं के नाम दर्ज हुआ तथा साधूसिहं का हि0 दर्ज नही हुआ तथा प्रतिवादी सं. 3 ने अपने जबाव दावा में अंकित किया कि वादी का रकबा दुरूस्त किया जाता तो उसे कोई एतराज नहीं है तथा उसके नाम दर्ज 76 हि0 भी दर्ज की दुरूस्ती की जावे। इस बाबत किसी भी पक्षकारान ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर बैयनामा दिनांक 10.04.1976 के अनुसार वाके चक 10 पी एस तहसील रायसिहंनगर के मु.न. 8 के कि. न. 1/0–18, 2/1–00, 9/1–00, 10/0–18, 11/0–18 व 12/1–00 कुल 5–14बीस्वा नहरी यानि 114 हिस्सा, भूमि राजस्व रिकार्ड में साधूसिहं पुत्र मूला सिहं के स्थान पर वादी जोगेन्दरसिहं पुत्र मूला सिहं के नाम दर्ज दुरूस्त करने व इसी प्रकार साूध सिहं पुत्र मूला सिहं के नाम 76 हि0 दर्ज करने की दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इस आश्य की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिहंनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिहंनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 12:45:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

सं– 100/2011
सी.सी.एन.एस. : 2011/00165

1. जोगेन्द्र सिहं पुत्र श्री मूला सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज0)। मृतक
1/1.महेन्द्रकोर पत्नी जोगेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी 10 पी. एस.तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज0)।
1/2.तरलोचन सिहं पुत्र श्री जोगेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज0)।
1/3. सतपाल सिहं पुत्र श्री जोगेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर(राज0)।
1/4. सिमरजीतकौर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी10पी.एस. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज0)।
1/5.जसप्रीतकोर पुत्री श्री जोगेन्द्र सिहं जाति जटसिख निवासी10पी.एस. तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज0)।

–:वादीगण

बनाम

18. उजागर सिह पुत्र श्री नारायण सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर(राज0)।
19. सन्तोख सिह पुत्र श्री जोरा सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज0)।
20. साधू सिह पुत्र श्री मूला सिहं जाति जटसिख निवासी 10पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज0)।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिहनगर

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट.</u>

–: निर्णय :–

दिनांक:–06.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री अवतार सिहं बराड़ अधिवक्ता वादीगण, श्री प्रीतम सिहं गिल अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि:–वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर बैयनामा दिनांक 10.04.1976 के अनुसार वाके चक 10 पी एस तहसील रायसिहंनगर के मु.न. 8 के कि.न. 1/0–18, 2/1–00, 9/1–00, 10/0–18, 11/0–18 व 12/1–00 कुल 5–14बीस्वा नहरी यानि 114 हिस्सा, भूमि राजस्व रिकार्ड में साधूसिह पुत्र मूला सिहं के स्थान पर वादी जोगेन्दरसिहं पुत्र मूला सिहं के नाम दर्ज दुरूस्त करने व इसी प्रकार साूध सिहं पुत्र मूला सिहं के नाम 76 हि0 दर्ज करने की दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बाकी अंकन बदस्तूर रहेगा।
डिक्री आज दिनांक 06.01.2021 को [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 12:45:13 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner